न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 205 / 2022 दायरा दिनांक : 15.11.2022

उनवान

1— घनश्याम वल्द सुखलाल

2— श्रीनाथ वल्द नाथूलाल

3— जगदीश वल्द शंकरलाल

4— बजरंगलाल वल्द गोपाल

5— बालचन्द वल्द भैरूलाल

6— हरिचरण वल्द धूलीलाल

जाति नागर धाकड़, निवासीगण फूंगाहेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

मूर्ति मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी नाबालिग जर्ये वली एवं संरक्षक नेक्स फ्रेन्ड पुजारी श्री राधेश्याम मुतबन्ना नन्दादास वल्द गोपालदास मृतक कायम मुकाम हेमराज आत्मज श्री राधेश्याम, जाति बैरागी, निवासी फूगाहेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री अतुल वशिष्ठ एवं श्रीमती वन्दना नागर

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रूपेश श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.03.2015 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर जिससे वाद संख्या 207/प्रार्थना पत्र/2015 वास्ते वाद धारा 188, 183 आर टी एक्ट 1955, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 वास्ते रिसीवर कायमी स्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांक : 03.07.2023

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

1– ग्राम फूंगाहेडी तहसील खानपुर के माल में नई खतौनी संख्या 47 की मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान फूंगाहेडी के खाते की खसरा नम्बर क्रमशः 3 की 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 की 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 की 17 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 की 2 बीघा 15 बिस्वा, कुल 5 किता की 33 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम फूंगाहेडी, तहसील खानपुर सम्वत 2051–2054 की फोटो कापी पेश है।

2– प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी, तहसील खानपुर के खाते की स्थित है तथा उक्त मूर्ति की सेवा पूजा अर्चना 100 वर्ष से भी अधिक समय से नन्दादास जी तथा नन्दादास जी के पूर्व उनके पिता

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नाथूदास जी तथा नन्दादास जी की मृत्यु के उपरान्त वादी राधेश्याम करता चला आ रहा है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सौ साल से निरन्तर निर्विरोध रूप से उपभोग कर काबिज चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी की पैदावार से मूर्ति की सूवा पूजा अर्चना, तेल भोग एवं स्वयं का गुजारा करते चले आ रहे हैं।

3— मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पूर्व में नन्दादास वल्द औंकारदास पुजारी कृष्णीबाई व मुतबन्ना राधेश्याम के खाते में दर्ज की गई तथा बाद में उक्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी, के खाते दर्ज कर दी गई तथा पुजारी नन्दादास जी ने अपने जीवनकाल में पुत्रवत रूप से कोई संतान नहीं होने की वजह से गोदपुत्र बनाकर राधेश्याम को रख लिया था जिसकी लिखा पढ़ी दिनांक 24.11.1971 को सादा कागज पर कर दी थी जिस पर गवाही आवाहान के समक्ष नन्दादास जी ने अपनी निशानी अंगूठा किया था तथा जिसकी रस्म रिवाज जाति बिरादरी एवं पंचों के बीच अदा की गई थी। तब से ही प्रार्थी राधेश्याम मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी की सेवा पूजा अर्चना करता चला आ रहा है तथा आराजी नन्दादास जी के बाद राधेश्याम के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है।

4— मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी नाबालिग है तथा राधेश्याम उक्त मूर्ति का पुजारी एवं संरक्षक है। जो मूर्ति की सेवा पूजा कर तेल भोग की व्यवस्था करता तथा मंदिर की देखरेख करता चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा को काश्त करता और अपना जीवनयापन करता चला आ रहा है। इस कारण मूर्ति व पुजारी राधेश्याम के हितों में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों के हित समान है। इस कारण राधेश्याम पुजारी होने से मूर्ति का संरक्षक होने से जर्ये पुजारी राधेश्याम प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है।

5— मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी के वार्षिकी भुगतान की आज्ञा कलेक्टर जागीर के द्वारा नन्दादास जी के नाम से बनी हुई है।

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6– प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी लड़ाई झगडे के बल पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 द्वारा दो ट्रेक्टरों से हकवाकर 19–06–1999 को अप्रार्थीगण ने बन्दूग, लठ्ठों, गण्डासियों से लेस होकर आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी को बन्दूक लेकर मारने के लिए दौडे तथा उक्त आराजी बाबत अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 के विरूद्ध माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रही है। जिसकी तामील की अप्रार्थीगण को हो रही है फिर भी अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करने तथा आराजी मुतनाजा को व्यर्थ ही डेमेज करने पर आमादा हैं तथा फरीकेन मध्य आराजी के विवाद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति है तथा खून खराबा होने की संभावना है।

7– आराजी पर दिनांक 19.06.1999 को अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिससे प्रार्थी मूर्ति के हकों पर कुठाराघात हुआ है तथा आराजी के अभाव में मंदिर के तेल भोग सेवा पूजा अर्चना इत्यादि सारी व्यवस्था बिगड जावेगी तथा पुजारी को अपना पेट पालना नहीं कर पावेगा । इस कारण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी । आराजी की सुरक्षा हेतु तहसीलदार खानपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

8– अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर न्यायहित में ताफैसला मुकदमा तहसीलदार खानपुर को रिसीवर नियुक्त फरमाया जावे।

9– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

10– प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 4.12.1999 को पेश कर कथन किया कि आराजी होना तो स्वीकार है पर प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी को डिकलेरेशन का दावा दीवानी न्यायालय में करना चाहिए था। प्रार्थना पत्र व दावा इस न्यायालय में चलने योग्य

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की अन्य मदों के बारे में भी अपनी अस्वीकृति का कथन किया है। प्रार्थी नन्दादास का गोदशुदा लडका नहीं है। प्रार्थी के पिता का नाम माधोदास है। दावे में एवं प्रार्थना पत्र में गोपालदास गलत लिखा है। प्रार्थी ने उसके पिता माधोदास के मरने के बाद इसकी जमीन अपने स्वयं के खाते व उसके भाई भंवरलाल, जगन्नाथ के खाते बंधवाई है। नकल खाता ग्राम सीधनीव ग्राम फदानिया पेश है। प्रार्थी ने मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी की कोई सेवा पूजा तेल भोग नहीं की है। प्रार्थी ने कोई जमीन काश्त नहीं की है और उसका आराजी मुतनाजा पर कब्जा नहीं है।

11– अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र की विशेष आपत्तियों में कथन किया है कि प्रार्थी का कभी आराजी मुतनाजा पर कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी की हैसियत उसके कथनानुसार एक नौकर की है एवं पुजारी की कोई हेरीडेटरी पोस्ट नहीं है। प्रार्थी मूर्ति मुरलीमनोहर जी का नेक्सटफ्रेण्ड नहीं हो सकता है। प्रार्थी केवल मूर्ति मुरलीमनोहर जी की जमीन पर जबरन कब्जा करके अपना बसर करना चाहता है और ये माफी इस परपज के लिए नहीं है । मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी का मंदिर हम अप्रार्थीगण के बुजुर्गों द्वारा बनाया हुआ है। यह एक प्राइवेट संस्था है । हम लोग ही मंदिर मुरलीमनोहर जी की सेवा पूजा इत्यादि का प्रबन्ध करते हैं इसके लिए हम धाकड़ समाज के मंदिर भक्तगण ही इस मंदिर मुरलीमनोहरजी की आराजी को काश्त करवाते एवं पुजारी नियुक्त करते चले आ रहे हैं इस कार्य के लिए ग्राम फूंगाहेडी के धाकड समाज के ग्रामवासियों की एक कमेटी बनी हुई है जो इस मंदिर मुरलीमनोहर जी की देखभाल हिसाब किताब बाकायदा रखा जाता है। अभी मंदिर मुरली मनोहर जी की जीर्ण शीर्ण अवस्था होने के कारण, मंदिर मुरली मनोहर जी की दुरूस्ती में व ठीक कराने में कमेटी फूंगाहेडी धाकड समाज द्वारा काफी रूपया खर्च किया गया है और मंदिर की जमीन की आमदनी से मंदिर का तेल भोग, अर्चना सेवा पूजा करवायी जाती है। मंदिर मुरलीमनोहर

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जी की जमीन को हर साल मुनाफे से काश्त करवाया जाकर उसका हिसाब किताब रखा जाता है।

12– राधेश्याम प्रार्थी माधोदास का लडका है। राधेश्याम गोपालदास का लडका नहीं है। दावे में राधेश्याम ने अपने पिता का नाम गोपालदास लिखवाया है, जो गलत है। माधोदास की मृत्यु हुए करीब 30–35 साल हो गये हैं। नन्दादास के घरू खाते की जमीन है उसको राधेश्याम हाक रहा है जो गोपालदास का लडका है वह ग्राम पखराना में रहता है। गोपालदास, कालूदास का मुतबन्ना लडका है एवं कालूदास नन्दादास का सगा भाई है । इस प्रकार प्रार्थी राधेश्याम द्वारा अपने पिता का नाम गोपालदास लिखा है जो गलत है वास्तव में राधेश्याम के पिता का नाम माधोदास है।

13– रियासत कोटा में पुजारी के मरने के बाद निजामत द्वारा इंतकाल खोला जाता है। उसकी रजिस्ट्री उस मंदिर की होती थी। निजामत द्वारा या कलेक्ट्री द्वारा होती थी तब ही मंदिर का पुजारी माना जाता था। अन्त में जवाब में कथन किया है कि यदि मंदिर मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी की आराजी का रिसीवर नियुक्त कर दिया तो मंदिर की सेवा पूजा इत्यादि का इंतजाम करना असंभव हो जावेगा। जवाब में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

14– दिनांक 01.07.2010 को राधेश्याम की मृत्यु का कथन करते हुए हेमराज पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी निवासी फूंगाहेडी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 4 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश कर मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी का संरक्षक नेक्सटफ्रेण्ड राधेश्याम के स्थान पर हेमराज को बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया । दोनों पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी गई।

15– मौखिक बहस में अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण द्वारा आराजी पर जबरन कब्जा करने व प्रार्थी को पुजारी का दत्तक पुत्र होने पर जोर दिया है। इस

कु० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रही है। फिर भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए अप्रार्थीगण आराजी पर जबरन कब्जा करने तथा आराजी मुतनाजा को व्यर्थ ही डेमेज करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी के मूर्ति के हकों पर कुठाराघात हुआ है। इस कारण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी और फरीकेन के मध्य व्यर्थ ही मुकदमेबाजी बढेगी । अप्रार्थीगण मंदिर को धाकड समाज का कहते हैं तथा सेवा पूजा, व आराजी काश्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में कमेटी बनाना कहते हैं किन्तु इनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और ना ही कोई हिसाब किताब पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजी मूर्ति के खाते की है जो नाबालिग है इस कारण हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु तहसीलदार खानपुर को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

16– अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि पहले आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र मूल दावा खारिज हो गया था। उसके साथ ही यह प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया था। मूल दावे की अपील कर उसे रेस्टोर करवाया गया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए के खारिज होने की अपील नहीं की गई है। अब उस पर पुनः सुनवायी इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकता है।

17– प्रार्थी राधेश्याम द्वारा अपने पिता का नाम गोपालदास लिखवाया गया है जो गलत है वास्तव में राधेश्याम के पिता का नाम माधोदास है। प्रार्थी ने न तो कभी मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा, तेल भोग आदि किया और ना ही कभी आराजी को काश्त किया। वह वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। ग्राम फूंगाहेडी में मुरली मनोहर जी का मंदिर हम अप्रार्थीगण के बुजुर्गों द्वारा बनाया गया हैं। फूंगाहेडी के धाकड समाज के ग्रामवासियों की कमेटी बनी हुई है जो इस मंदिर की आराजी की काश्त की व्यवस्था करती है तथा मुनाफा काश्त से प्राप्त राशि का हिसाब किताब बाकायदा रखा जाता है।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी की काश्त होने से जो आमदनी होती है उसी से मंदिर का तेल भोग, अर्चना, सेवा पूजा इत्यादि करवायी जाती है। यदि आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है तो मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी मंदिर मुरलीमनोहर जी की सेवा पूजा, तेल भोग में अत्यधिक परेशानी हो जावेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

18– हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी का पुजारी है जो मूर्ति की सेवा पूजा, तेल भोग की व्यवस्था करता चला आ रहा है। ग्राम फूंगाहेडी में खतौनी संख्या 40 पर कुल 5 किता की 33.19 बीघा आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी के खाते की है जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है ऐसे में इस आराजी पर तहसीलदार खानपुर को रिसीवर नियुक्त किया जावे ताकि मूर्ति की सेवा पूजा, व तेल भोग की व्यवस्था तथा आराजी की व्यवस्था हो सके।

19– इसके विपरीत अप्रार्थीगण प्रार्थी को पुजारी होने से इंकार करते हैं तथा कहते हैं कि मंदिर धाकड समाज का है तथा आराजी व्यवस्था के लिए उनके द्वारा एक कमेटी बना रखी है वह आराजी की मुनाफा काश्त एवं मूर्ति की सेवा पूजा तेल भोग आदि की व्यवस्था करती है किन्तु अप्रार्थीगण ने किसी भी कमेटी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही आराजी मुनाफा काश्त से प्राप्त राशि के आय व्यय का ही कोई हिसाब किताब पेश किया है। चूंकि अप्रार्थीगण ना तो आराजी के खातेदार हैं और ना ही मंदिर के ट्रस्टी हैं और ना ही उनके द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य पेश किये हैं जिससे यह साबित होता है कि मंदिर की सेवा पूजा, तेल भोग तथा आरोजी की काश्त की व्यवस्था उनके द्वारा हो रही है।

20– वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी के खाते की है तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । जिसके

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हितों की रक्षा करना आवश्यक है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। ऐसे में अपूर्णीयक्षति एवं सुविधा के संतुलन का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में ना होकर प्रार्थी के पक्ष में ही है। मूर्ति मंदिर मुरलीमनोहर जी का पुजारी अथवा नेक्सटफ्रेण्ड कौन है ? मंदिर की सेवा पूजा तेल भोग एवं आराजी काश्त करने की व्यवस्था कौन कर रहा है यह तथ्य तो दावे में बाद सुनवायी तय होगे। यहां तो केवल प्रार्थी के 212 आर टी ए के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है।

21– प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 212 आर टी ए 1955 वास्ते रिसीवर कायमी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम फूंगाहेडी की खतौनी संख्या 40 की मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी खसरा नम्बर 3 की 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 की 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 की 17 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 की 2 बीघा 15 बिस्वा तथा कुल 5 किता की 33 बीघा 19 बिस्वा आराजी पर तहसीलदार खानपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार खानपुर को आदेश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त आराजी का कब्जा प्राप्त कर काश्त की व्यवस्था करें एवं आराजी की काश्त से होने वाली आय से मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी विराजमान ग्राम फूंगाहेडी की सेवा पूजा तेल भोग की व्यवस्था करें । साथ ही आराजी की मुनाफा काश्त से होने वाली राशि के आय व्यय का पूर्ण लेखा रखे। खर्चा फरीकेन अपना अपना बहन करें। निर्णय की क्रियान्विती हेतु तहसीलदार खानपुर को लिखा जावे।

22– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

23– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली एवं संग्रहसार तथा विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

24– ग्राम फूंगाहेडी के माल में खतौनी संख्या 40 के खाते की खसरा नम्बर 3 की 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 5 की 13.18 बीघा, खसरा नम्बर

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6 की 17.05 बीघा, खसरा नम्बर 7 की 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 8 की 2.15 बीघा कुल 5 किता की 33 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है।

25— ग्राम फूंगाहेडी में मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी पटेल धाकड परिवार फूंगाहेडी वालों का निजी मंन्दिर है जिन्होंने उक्त मन्दिर की सेवा पूजा, तेल भोग, मरम्मत एवं धार्मिक अनुष्ठान की समस्त व्यवस्था उक्त कमेटी विगत 20 वर्षों से सेवा पूजा के लिये व्यक्ति को नियुक्त करती हुई लगातार चली आ रही है और वर्तमान में भी कमेटी के व्यवस्थापक आपस में विचार विमर्श करके सेवा पूजा, तेल भोग, धार्मिक कार्य व अनुष्ठान करने के लिये व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, तथा उपरोक्त आराजी को मुनाफे काश्त पर बोली लगाकर प्रत्येक वर्ष देते हुए चले आ रहे हैं, तथा आय व्यय का हिसाब रेकार्ड मेन्टेन करते हुए चले आ रहे हैं, एवं वर्तमान में भी कर रहे हैं।

26— अपील की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी अजाड नदी के किनारे की उबड खाबड जमीन थी जिसे कमेटी के व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक परिश्रम करके एवं काफी रूपया विनियोजित करके उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया है।

27— रेस्पोडेंट ने उपरोक्त आराजी को न तो पूर्व में काश्त की और न ही वर्तमान में काश्त कर रहा है। इस कारण से उक्त आराजी के खुर्द बुर्द, क्षतिग्रस्त आदि के होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उपरोक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्ति करने का आदेश करके कानूनी भूली की है।

28— रेस्पोडेंट का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट कब्जे के अभाव में एवं विगत 40—50 सालों से अपीलांट्स का निरन्तर एवं निर्विरोध ओपन एण्ड होस्टाईल पजेशन सबकी जानकारी में होने के कारण उक्त वाद 183 आर टी एक्ट के तहत भी मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है और न ही धारा 212 आर टी एक्ट के प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल होने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर

उषा अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त रिसीवरी का निर्णय पारित करके भयंकर कानूनी त्रुटि की है इस कारण उक्त निर्णय कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है।

29– यह कि पूर्व पुजारी नन्दादास पुत्र औंकारदास के कोई संतान नहीं थी, उक्त राधेश्याम पुत्र माधोदास का नन्दादास के परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि राधेश्याम आत्मज माधोदास की सन्तान थी न कि नन्दादास की। राधेश्याम आत्मज माधोदास का स्वर्गवास हो चुका है, और हेमराज आत्मज राधेश्याम का उक्त आराजी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण से रेस्पोडेंट हेमराज उक्त आराजी का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकसस्टेन्डाई एवं सक्षम व्यक्ति नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्ति का निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है।

30– अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.05.2015 को अविलम्ब निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सम्मानीय न्यायालय उचित समझे वह भी अपीलांट्स को प्रदान करवायी जावे।

31– अपील के साथ अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण में स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया हैं ।

32– श्रीमान् राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र कमांक/टी.ए./निगरानी/2015/झालावाड/1.10.2015 दिनांक 22.09.2015 की पालना में दिनांक 12.10.2015 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर भिजवायी गई। जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी हेतु पेश हुई। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश

उमा अनुराधा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 29.09.2022 के अनुसार निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज गई।

33– माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक: राम/न्याय/टी.ए/निगरानी/2015/2105/झालावाड दिनांक 20.10.2022 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

34– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

35– अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलंग्न किये गये हैं –

- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी ग्राम फूंगाहेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड् मय संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली
- वित्तीय स्टेटमेंट मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी कार्य समिति वर्ष 2010–2022 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि
- कार्यवाही रजिस्टर मूर्ति मंदिर मुरलीमनोहर जी की प्रमाणित प्रतिलिपि
- केश बुक मूर्ति मंदिर मुरलीमनोहर जी की प्रमाणित प्रतिलिपि
- उक्त सभी दस्तावेज जो पेश किये गये हैं वे सभी अभिभाषक अपीलांट श्रीमती वन्दना नागर द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

36– अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी पी सी का जवाब पेश किया गया । अपीलांटगण द्वारा सहकारिका विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2018, संघ विधान पत्र, नियमावली, ऑडिट स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर व केशबुक आदि की प्रतियां

श्रीमती अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है।

37– यहां यह महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि तथाकथित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2018 में मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी कार्य समिति फूंगाहेडी जिला झालावाड का राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत अभी करवाया गया है जो कि एक सहकारी संस्था है। उक्त संस्था के विधान व नियमावली में मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी की ग्राम फूंगाहेडी स्थित कृषि भूमि शामिल नहीं है ना ही उक्त आराजी के स्वामित्व व कब्जा काश्त बाबत कोई उल्लेख है। कानूनन भी कोई सहकारी संस्था किसी विधिक दस्तावेज व सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मंदिर के खाते की भूमि में अधिकार क्लेम नहीं कर सकती है।

38– मूर्ति मंदिर की आराजी के सम्बन्ध में प्रबन्धन हेतु नियमानुसार किसी ट्रस्ट के गठन का अधिकार देवस्थान विभाग को है। उक्त संस्था देव स्थान विभाग द्वारा गठित नहीं है। उक्त सहकारी समिति का मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी ग्राम फूंगाहेडी स्थित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण उक्त दस्तावेजात प्रकरण से सम्बन्धित नहीं होने तथा सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से उन्हें रेकार्ड पर लिया जाना न्याय संगत नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तथाकथित ऑडिट रिपोर्ट सहकारिता विभाग द्वारा एप्रूव्ड दस्तावेज नहीं है। इस कारण उनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है । अतः अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित नहीं होने से तथा सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से रेकार्ड पर लिया जाना विधि संगत नहीं है।

उषा अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

39– अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलंग्न किये गये हैं –

- जमाबंदी संवत 1983–1985 ग्राम फूंगाहेडी
- जमाबंदी संवत 2006–2009 ग्राम फूंगाहेडी
- जमाबंदी संवत 2018–2021 ग्राम फूंगाहेडी
- खसरा पत्रक सैटलमेंट विभाग संवत 2020 (5 किता)
- जमाबंदी संवत 2034–2037 ग्राम फूंगाहेडी
- नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम फूंगाहेडी
- जमाबंदी संवत 2043–2046 ग्राम फूंगाहेडी
- नामान्तरकरण संख्या 12 ग्राम फूंगाहेडी
- डिमाण्ड नोटिस दिनांक 21.04.1955 जागीर कमिश्नर जयपुर
- वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा जागीर कमिश्नर दिनांक 01.07.1963
- सर्टिफिकेट आफ पेमेन्ट द्वारा जागीर कमिश्नर जयपुर दिनांक 06.06.1964
- पुजारी रजिस्टर तहसील खानपुर की नकल (2 किता)
- नोटिस अतिरिक्त जिलाधीश झालावाड वास्ते दिनांक 25.06.1987 वास्ते कृष्णा बाई पत्नी नन्दादास, राधेश्याम मुतबन्ना नन्दादास
- दखलनामा दिनांक 10.04.2015 तहसील खानपुर
- इश्तिहार नीलामी कार्यालय तहसीलदार खानपुर दिनांक 10.10.2022
- नीलामी आदेश दिनांक 08.11.2022 कार्यालय तहसीलदार खानपुर

कु० अनुधर्मा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

- अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वे अप्रमाणित हैं।

40– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम फूंगाहेडी के माल में खतौनी संख्या 40 के खाते की खसरा नम्बर 3 की 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 5 की 11.18 बीघा, खसरा नम्बर 6 की 17.05 बीघा, खसरा नम्बर 7 की 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 8 की 2.15 बीघा कुल 5 किता की 33 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है।

41– जो मूर्ति मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी शाश्वत नाबालिग है जिनकी सेवा पूजा अर्चना तेल भोग आदि की व्यवस्था तथा उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त व्यवस्था विगत 100 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर रेस्पोडेंट व उनके पूर्वज बहैसियम संरक्षक व पुजारी की हैसियत से करते चले आ रहे हैं। सम्वत 1983–1985 के खाते की नकल में माफी मंदिर मुरलीमनोहर जी के खातेदार औंकारदास बेटा नाथूदास दर्ज है। संवत 2006 –2009 के खाते की नकल में माफी मंदिर मुरलीमनोहर जी विराजमान गांव व कब्जा में संवत 2006 के कालम में खातेदार औंकारदास बेटा नाथूदास दर्ज है।

42– जमाबंदी संवत 2008–2009 के कालम में खातेदार नन्दादास बेटा औंकारदास दर्ज है। जमाबंदी संवत 2018–2021 में माफी मंदिर मुरली मनोहर जी विराजमान गांव व कब्जा में नन्दादास बेटा औंकारदास दर्ज है। खसरा पत्रक संवत 2020 में मंदिर के खाते की आराजी में कब्जा नन्दादास वल्द औंकारदास अंकित है। संवत 2034–2037 की जमाबंदी में उक्त आराजी मुसम्मात कृष्णा बाई बेवा नन्दादास व राधेश्याम मुतबन्ना नन्दादास अंकित है।

43– इंतकाल संख्या 38 ग्राम फूंगाहेडी से उक्त आराजी पुनः मंदिर के खाते दर्ज हुई है। जागीर कमिश्नर जयपुर के डिमाण्ड नोटिस, वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा व सर्टिफिकेट ऑफ पेमेन्ट की नकल जिसमें मूर्ति मंदिर श्री मुरली मनोहर जी के पुजारी नन्दादास वल्द

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

औंकारदास अंकित है। पुजारी रजिस्टर में मंदिर के खाते की आराजी पर बहैसियत पुजारी कब्जा काश्त हेमराज पुत्र राधेश्याम अंकित है। उक्त दस्तावेजात से प्रार्थी रेस्पोडेंट का निरन्तर मूर्ति मंदिर श्री मुरली मनोहर जी के पुजारी व संरक्षक की हैसियत से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चले आना प्रमाणित है।

44— अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होने तथा मंदिर के हितों की रक्षा करना आवश्यक मानते हुए मंदिर के खाते की उक्त भूमि पर तहसीलदार खानपुर को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश दिनांक 25.03.2015 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पूर्णतया उचित एवं न्याय संगत है।

45— तहसीलदार साहब खानपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 10.04.2015 को उक्त आराजी को कब्जा राज लिया है तथा नीलामी आदेश दिनांक 08.11.2022 द्वारा नीलामी बोली पूर्ण की गई है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे।

46— हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

47— अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अप्रमाणित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाता है।

48— श्रीमान् निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक / टी.ए. / निगरानी / 2015 / झालावाड / 1.10.2015 दिनांक 22. 09.2015 के द्वारा इस न्यायालय की पत्रावली चाही गई थी, जो दिनांक

12.10.2015 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर भिजवायी गई। माननीय निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांकः राम/न्याय/टी.ए/निगरानी/2015/2105/झालावाड दिनांक 20.10.2022 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। **पत्रावली दिनांक 12.10.2015 से 22.10.2022 तक श्रीमान् निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां सुनवायी हेतु लम्बित थी।** दिनांक 29.09.2022 को स्थगन आदेश पर निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई तथा इस न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वे उभयपक्षकारान की बहस सुनकर प्रकरण का दो माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

49– उभयपक्षकारान अभिभाषगणों की बहस पर मनन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । **मंदिर के हितों को सुरक्षित रखा जावे, और निर्णय दिनांक 25.03.2015 को उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के द्वारा तहसीलदार, खानपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया था। वह पूर्णरूप से उचित एवं न्याय संगत है।** जिसमें हम किसी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। **मंदिर के हितों को सुरक्षित रखते हुए रिसीवरी कायम रखने के आदेश यथावत रहेगे।**

50– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि **अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जो प्रमाणित नहीं हैं उन सभी दस्तावेजात को अधीनस्थ न्यायालय गहनता से जांच एवं अध्ययन कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक मूल वाद ताफैसला तक मंदिर के हितों को सुरक्षित रखते हुए तहसीलदार खानपुर द्वारा रिसीवरी कायम रखने के आदेश यथावत रहेगे।** उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2023 को उपस्थित होवें ।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

51– निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा